न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 447/2019

अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र लिछमण जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राकेश पुत्र लिछमण जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम्

1. मानाराम पुत्र आसाराम जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कविता पुत्री लिछमण जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. अमरी पुत्री मानाराम पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. मंन्जू पुत्री मानाराम पत्नी लिछमण जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. जगदीश पुत्र मानाराम जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **वादी**

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्त **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 27/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 160/172 के ख.न. 29/5 की 2.1890, 31/2 की 0.9710 कुल 3. 1600 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीया न. 2 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 व 3 ता 5 ब.हि.ब. 4/5 हिस्सा के काबिज खातेदार कास्तकार हैं। एवं रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 94/100 के ख.न. 88 की 1.6440, 100 की 0.6580, 424 की 0.3540, 435 की 2.8080, 435/472 की 2.2770 कुल 7.7410 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीया न. 2 ब.हि. ब. 1/45 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 व 3 ता 5 ब.हि.ब. 4/45 हिस्सा के काबिज खातेदार कास्तकार हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है प्रतिवादी न. 1. वादीगण एवं प्रतिवादी न. 2 का नाना व प्रतिवादी न. 3 ता 5 का पिता है जो परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भूमि प्रतिवादी … विरासतन प्राप्त हुई है इसलिए विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है … कृष्णा पुत्री मानाराम का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने … ब. का हक व हिस्सा … ता है एवं कृष्णा पुत्री मानाराम के हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादी … न. 2 ब.हि.ब. के हक … है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि को कास्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे हैं। विवादित भुमि पैतृकि जदी जायदाद है जो प्रतिवादी न. 1 को परिवार का मुखिया होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी न. 3 ता 5 एवं मृतक कृष्णा पुत्री मानाराम का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ ब. हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है एवं कृष्णा पुत्री मानाराम के हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादीया न. 2 ब.हि.ब. के हकदार है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए वादीगण विवादित भुमि रोही मोजा श्योराणी तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 160/172 के ख.न. 29/5 की 2.1890, 31/2 की 0.9710 कुल 3.1600 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीया न. 2 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 व 3 ता 5 ब.हि.ब. 4/5 हिस्सा के खातेदार कास्तकार एवं रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 94/100 के ख.न. 88 की 1.6440, 100 की 0.6580, 424 की 0.3540, 435 की 2. 8080, 435/472 की 2.2770 कुल 7.7410 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीया न. 2 ब.हि.ब. 1/45 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 व 3 ता 5 ब.हि.ब. 4/45 हिस्सा भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 व 5 ने जरिये अधिवक्त जवाब दावा इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी स0 1 व 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की खाता सं. 160/172 के ख.न. 29/5 की 2.1890 हैक्टर ख.न. 31/2 की 0.9710 हैक्टर कुल तादादी 3. 1600 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है तथा खाता सं. 94/100 के ख.न. 88 की 1. 6440 हैक्टर ख.न. 100 की 0.6580 हैक्टर ख.न. 424 की 0.3540 हैक्टर भूमि ख. न. 435 की 2.8880 हैक्टर भूमि ख.न. 435/472 की 2.2770 हैक्टर कुल 7.7410 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है तथा वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 की कभी भी कब्जा काश्त नही रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 सयुक्त तौर से हिन्दु खानदान गठित नही करते है तथा दोहिते दोहितियों का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है तथा उन्हें वाद दायरी का हक अधिकार हासिल नही है। अपने पिता के साथ मिलकर वादीगण ने वाद भूमि को बजड़ से नोतोड किया है पिता कर्ता खानदान होने के कारण उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया । उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक जददी जायदाद नही है, तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का वाद भूमि में कोई हक वहिस्सा नहीं है। तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी नही है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 की माता को जो भी कोई हक व हिस्सा था वो उसने मौखिक तौर से बाहमी राजीनामा से जरिये प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया था जिससे कृष्णा का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहा है तथा कृष्णा ने अपने जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा की मांग नही की। अब वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है तथा वे वाद भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। [illegible] श्योराणी तहसील नोहर के खाता सं. 154 के ख.न. 29/5 की 2.1890 [illegible] की 0.9710 हैक्टर भूमि कुल 3. 1600 हैक्टर भूमि तथा खाता सं. 94 [illegible] 0.6580 हैक्टर भूमि ख.न. 424 की 0.3540 हैक्टर भूमि ख.न. 435 की 2.8080 हैक्टर भूमि ख.न. [illegible]35/472 की 2.2770 हैक्टर भूमि ख.न. 88 की 1.6440 हैक्टर भूमि कुल तादादी 7.7410 हैक्टर भूमि सयुक्त खाता में मानाराम प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:46 IST
Reason: SelfAttested

अकेला खातेदार है एवं रिकाडर्ड खातेदार काश्तकार है एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है कृष्णा मन्जु 2005 से पूर्व फौत हो चुकी है है हिन्दु विधि अनुसार मृतक को कोई बाई बर्थ राईट नहीं होता है तथा वाद भूमि जददी खातेदारी ननीहाल पक्ष में नहीं होती है दावा इसी आधार पर खारिज योग्य है। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

साक्ष्य वादी में राजकुमार ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये तथा वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा श्योराणी सम्वत 2073–76 खाता स0 160 ईएक्सपी–1, खाता स0 94 ईएक्सपी–2, नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 ता 38 ग्राम श्योराणी ईएक्सपी–3, मिसल बंदोबस्त सम्वत 2029 ता 38 श्योराणी ईएक्सपी–4, नकल मिसल बदोबस्त सम्वत 2029–38 खाता स0 4 ईएक्सपी–5 प्रदेर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम भूमि दर्ज हो गयी जबकि उक्त भूमि में वादीगण का भी जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रतिवादी स0 1 वादीगण का नाना है। वादीगण की माता ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि बाबत कोई ऐतराज जाहिर नही किया जबकि वादीगण दादालाई भूमि में ही अपना हक हिस्सा प्राप्त कर सकते है न की नानालाई में से। वादीगण की माता कृष्णा 2005 से पूर्व फौत हो चुकी है है हिन्दु विधि अनुसार मृतक को कोई बाई बर्थ राईट नहीं होता है तथा वाद भूमि जददी खातेदारी ननीहाल पक्ष में नहीं होती है दावा इसी आधार पर खारिज योग्य है।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है जो की वादीगण का नाना है। वादीगण की माता का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि दादालाई न होकर नानालाई है एवं वादीगण की माता कृष्णा 2005 से पूर्व फौत हो चुकी है है हिन्दु विधि अनुसार मृतक को कोई बाई बर्थ राईट नहीं होता है तथा वाद भूमि जददी खातेदारी ननीहाल पक्ष में नहीं होती है अत वादीगण न्यायालय से अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ....27/03/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 447/2019

अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र लिछमण जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राकेश पुत्र लिछमण जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम्

1. मानाराम पुत्र आसाराम जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कविता पुत्री लिछमण जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. अमरी पुत्री मानाराम पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. मंन्जू पुत्री मानाराम पत्नी लिछमण जाति मेघवाल साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. जगदीश पुत्र मानाराम जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 447 सन 2019 निर्णय दिनांक 27/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हवासिंह पूनियां एवं वकील प्रतिवादी श्री महेशचन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....27/03/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:46 IST
Reason: SelfAttested